

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0024**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

22/07/2025 18:51 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(3)
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	318(4)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	336(3)
4	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	337
5	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	340
6	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61
7	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)
8	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):****Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/07/2025 **Time (समय):** 18:51 hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/07/2025 18:51 hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 25 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)(b) **Address (पता):**

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक प्रवीन कुमार

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SV AND ACB AMBALA, AMBALA, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SV AND ACB AMBALA, AMBALA, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9996711100

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विरेन्द्र चौधरी HCS			1. MD, Suger Mills, Shahbad, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	निदेशक मण्डल के सदस्यो			1. Suger Mills, Shahbad, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
3	Ms Pawan Environmental Services Bijnor. U.P.			1. Bijnor UP, BIJNOR, UTTAR PRADESH, INDIA
4	Ms Kush Engineering works Shahabad Markanda			1. Shahabad Markanda, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि दिनांक 18.07.2025 को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला का एक पत्र क्रमांक 13756/Secret/ACB(H) दिनांक पंचकूला, 16.07.2025 विषय Additional Commissioner, Kurukshetra की Comprehensive enquiry report के आधार पर श्री विरेन्द्र चौधरी, HCS the then MD, Suger Mills, Shahbadके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु Chief Secretary to Government Haryana, Vigilance Department हरियाणा, पंचकूला के मैमो नम्बर 11/12/2025-I VII dated 08.07.2025 की छायाप्रति मय सम्बन्धित दस्तावेज सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्राप्त हुई है। मुख्य सचिव कार्यालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार इस मामले की तफतीस के लिए राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजा गया है। श्री विनीत कुमार, उपमुख्य रसायन विद (निलम्बित) वासी श्री रुम सैट-16, शुगर मिल कालोनी शाहबाद मारकण्डा, मो.न. 82953-53869 ने दिनांक 25.10.2024 को एक शिकायत माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा सरकार को दी थी जो इस प्रकार है, “माननीय मुख्यमन्त्री जी, हरियाणा सरकार, विषय- शाहबाद सरकारी चीनी मिल में करोडो रुपये के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टेंडर सख्या 2024-HBC-404892-1 और टेंडर सख्या 2024-HBC-404917-1 की गलत टेक्निकल बिड पास करने के सम्बन्ध में, महोदय जी, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी शाहबाद सहकारी चीनी मिल, शाहबाद मारकंडा में उपमुख्य रसायन विद के पद पर कार्यरत है दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली शाहबाद सहकारी चीनी मिल की निदेशक मंडल की बैठक में रखे गए एजेंडा आइटम नम्बर 11 एवं 13 की तकनीकी बिड खोलने के लिए 23 अक्टूबर 2024 को शाम 5.00 बजे जबरदस्ती नोटिंग पर अन्य अधिकारियों के साथ-साथ मेरे और उपमुख्य अभियन्ता (मैकेनिकल) के हस्ताक्षर कराए गए, जबकि एजेंडा आइटम सख्या 11 में 02 टेंडर प्राप्त हुए थे तथा एजेंडा आइटम नम्बर 13 में 01 टेंडर प्राप्त हुआ था। जबकि तीन टेंडर से कम प्राप्त टेंडर को रिटेंडर करने का निर्णय लिया जाता है और कार्य अत्यन्त आवश्यक होत तो बिड खोलने का निर्णय बोर्ड आफ डायरेक्टर की मिटिंग के दौरान होता है, बोर्ड का डायरेक्टर की मिटिंग दिनांक 24.10.2024 को होनी थी, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को लगभग 10.50 सुबह प्रबन्ध निदेशक के पी.ए. प्रदीप कुमार के माध्यम से उप मुख्य अभियन्ता मैकेनिकल के पास फोन आता है कि प्रबंध निदेशक साहब का आदेश है कि आपको तथा उप मुख्य रसायन विद को डायरेक्टर रुम में बैठना है जब आपकी जरूरत होगी तो आपको निदेशक मंडल की चल रही मीटिंग में बुला लिया जाएगा, दोपहर 12.30 के आस पास हमें टेंडर सख्या, टेंडर सख्या की टेक्निकल बिड पास करने के लिए कहा जाता है जबकि मेरे द्वारा तथा उपमुख्य अभियन्ता मैकेनिकल के द्वारा इन दोनों टेंडरों की सम्बन्धित पार्टियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड टेक्निकल बिड के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि टेंडर सख्या 2024-HBC-404919-1 के लिए पार्टी का नाम मै. पवन इंटरप्राइजेज सर्विसेज, बिजनौर द्वारा टेक्निकल बिड के साथ लगाए हुए

दस्तावेज मिल द्वारा इस टेंडर के लिए मांगे गए तकनीकी दस्तावेजों की शर्त के अनुसार पूरे नहीं है एवम टेंडर सख्या 2024-HBC-404892-1 के लिए पार्टी का नाम मै. कुश इंजीनियरिंग, शाहबाद मारकंडा द्वारा टेक्निकल बिड के साथ लगाए हुए दस्तावेज, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार इस टेंडर के लिए मांगे गए तकनीकी दस्तावेजों की शर्त के अनुसार पूरे नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा दोनो टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए, जिसके साक्ष्य हमारे पास भी है और दोबारा रिजेक्ट टेंडर को स्वीकार किया गया, इस पार्टी का टेंडर पानीपत सहकारी चीनी मिल, रोहतक सहकारी चीनी मिल में पहले भी रिजेक्ट हो चुका है। दोनो पार्टियों का टेक्निकल बिड से सम्बन्धित सारणी इस प्रकार है-

Name of party
Agenda no. Tender ID M/s Pawan Environmental Services, Bijnor. (U.P.) Agenda item-11 Tender ID 2024_HBC_404917_1 Document to be uploaded for technical Bid eligibility criteria as per Haryana Government guidelines As per condition no.8 of tender eligibility- In case of unregistered supplier/firm. It must submit proof of repeat orders of same job/work to atleast 02 standard sugar mills/Any co-operative sugar mills of haryana for two years during the last five years, supporting documents in support of the same is to be attached. Copy of repeat order is to be attached. Copy of repeat order is to be attached. Document uploaded by the party for Technical Bid operation. Rejection reason-Party not submit the proof of repeat orders of same job/work to atleast 02 standard sugar mills/Any co-operative sugar mills of haryana for two years during the last five years.

M/s Kush Engineering works, Shahabad Markanda Agenda item-13 Tender ID-2024_HBC_404892_11. prospective bidder/tenderer should have atleast 2 years experience in same or two sugar mills of complete repair and maintenance of 3500 TCD and above sugar mills having 16 MW above Cogen. "Units during the last five years (i.e. 2019-20 to 2023-24) Or prospective bidder/ tenderer should have atleast 2 years experience in same or two working sugar mills of 3500 TCD above having 16 MW above cogen units of atleast three sections amongst the following five sections during the last five years (ie d 2019-20 to 2023-24 a) Mill house (b) Boiler c)Turbine/Cogen/Switchyard d)Electrical/Instrumentation e) Boiling house Required documents a) Copy of required work order b)RT(8C) of the mill/mills issuing work order. c) The performance certificate duly signed by the head of the unit and must satisfy atleast three out of five parameters mentioned below: 1.Capacity utilization-90% and above except no cane or bad weather, 2. Total losses 2% 3.(a) Bagasse pol 2%, (b)Moisture bagasse 50% 4.Steam consumption 42% for cogen unit and 50% for non cogen units 5. Final Molasses purity31% Or 3. In case of Consortium or Joint Venture - No member applying Individually or as a member consortium, as the case may be,can be a member of another consortium. Maximum three members can. form a consortium. In case of consortium,each member should have atleast 24% share in the consortium with lead member share of atleast 51% and every consortium member should have experience of repair, maintenance and operation of atleast one different section as required in the terms and conditions of tender document i.e a.Mill b.Boller c. Turbine d. Boiling house Lead member shall be responsible for achieving the performance parameters and other terms and condition of tender. No change in lead member is allowed during the contract period and Mills shall only communicate with lead member for all Intent and purposes. The term bidder used herein would apply to both a single entity and a consortium Prospective bidder/bloders should have atleast two years experience in same or two Sugar Mills of repair and maintenance operation of 3500 TCD above sugar Mill having 16 MW and above working sugar mill plant of atleast three sections amongst the following four sections during the last five years (i.e from 2019-20 to 2023-24) with following performance parameters For Co-genie 1.Mill house 1.Capacity Utilization-90% or above 2.Bagasse pol-less than 2% 3. Moisture Bagasse50% 2.Boiler 1.Capacity utilization-90% or above 2.Steam fuel ratio should be between 2.2 to 2.4 3. Turbine 1. Capacity utilization-90% or above 2.Specific steamconsumption (ton/MW) should be less than 5.6ton/MW. 4. Boiling House 1.Capacity Utilization-90% or above 2.Final Molasses purity≤31 3.Steam consumption less than or equal to 42% Required documents a) Copy of require work order b)RT(8C) of the Mill/Mills Issuing work order. c)The performance certificate duly signed by the head of the unit. 1.Party(R.A. Contractor) submitted the The performance certificate signed by Authorized signatory i.e. Group Sr. VP (Ashok Singh) which working in H.R. department in head office of wave industries instead signed by the unit head of the Dhanaura unit sugar mill wave industries. 2. Party not submitted the detailed work order. 3. Party submitted the some documents of wave industries of Bulandshahar unit, which is the non-cogen Plant.

इसलिए दोनो टेंडरों को टेक्निकल कंडीशन पूरी ना होने के कारण मेरे और उपमुख्य अभियन्ता मैकेनिकल द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मीटिंग के दौरान टेंडर पास करने के लिए दबाव बनाया गया, परन्तु हमारे द्वारा टेक्निकल रिजेक्टेड पार्टियों के टेंडर पास करने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण टेक्निकल बिड रिजेक्ट करने के थोड़ी देर बाद ही प्रार्थी को मिल हित में काम करने का ईनाम देते हुए टेंडर रिजेक्ट करने के एवज में निलम्बित कर दिया जाता है। अब मेरी जानकारी में आया है कि दोनो टेंडर रिजेक्ट करने के बाद भी टेंडर पास करते हुए रिजेक्टेड पार्टियों को टेंडर का कार्य दे दिया गया है जिसमें ना सिर्फ हमारे साथ गलत हुआ है आने वाले पिराई सत्र में मिल चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं एजेन्डा नम्बर 13 से लगभग 80 लाख रुपये का कार्य अलग कर मैं. पी.ए.ई. कन्ट्रोल नोएडा तथा आईटी सॉल्यूशन फरीदाबाद को दिया गया, यदि यह कार्य एजेन्डा नम्बर 13 से अलग ना किया जाता और यह कार्य उपरोक्त टेंडर के साथ सलग्न होता तो इससे मिल को फाइनेंशियल बचत के साथ साथ मिल की परफॉर्मेंस भी एक ही कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होती, जबकि अन्य सहकारी चीनी मिल जैसे पानीपत, करनाल नही मिल की मरम्मत, रखरखाव एवम संचालन के लिए एक ही टेंडर किया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनो टेंडर की अनुमानित लागत लगभग 13 करोड़

रुपये हैं इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दोनों गलत पास किए गए टैंडरो की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये तथा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाए। Sd विनीत कुमार, उपमुख्य रसायन विद (निलम्बित) वासी श्री रुम सैट-16, शुगर मिल कालोनी शाहबाद मारकण्डा, मो.न. 82953-53869, इस शिकायत की जांच करने के लिए कार्यालय उपायुक्त कुरुक्षेत्र के द्वारा पृ. क्रमांक 2747/सीईए, दिनांक 22.01.2025 के अनुसार एक जांच कमेटी गठित की थी जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र को अध्यक्ष, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) थानेसर तथा लेखा अधिकारी कार्यालय उपायुक्त कुरुक्षेत्र को सदस्य बनाया गया था। जो जांच कमेटी द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट क्रमांक 5063 दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से उपायुक्त कुरुक्षेत्र को प्रस्तुत की है, जो जांच कमेटी अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में पाया कि उपरोक्त दोनों निविदाओं सख्या 2024-HBC-404917-1 व 2024-HBC-404892-1 में चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक(एमडी) की देखरेख में तकनीकी पात्रता समिति ने भाग लेनी वाली उपरोक्त दोनों फर्मों की तकनीकी पात्रता को मन्जूरी दी। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों फर्म तकनीकी पात्रता के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती थी, फिर भी उन्हें तकनीकी पात्रता समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, चूँकि यह प्रक्रिया चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक द्वारा देखी गई थी इसलिए इस मामले में उनकी मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त शाहबाद चीनी मिल के निदेशक मंडल के कई सदस्य, जिन्होंने उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी चिताएँ व्यक्त किए बिना निविदाओं का अनुमोदन किया था, भी जिम्मेदारी साझा करते प्रतीत होते हैं। इसके ईलावा निविदा सख्या 2024-HBC-404917-1 से सम्बन्धित वित्तीय बोली के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। बोलीदाता को L-1 के रूप में गलत पदनाम देना और निर्धारित बातचीत प्रक्रियाओं का पालन न करना, प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल शाहबाद की देखरेख में कार्यरत अनुमोदन समिति की ओर से संभावित दुर्भावनापूर्ण इरादों का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निविदा के लिए तकनीकी पात्रता के मूल्यांकन के दौरान उचित प्रक्रिया के अभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त करने के लिए उप मुख्य रसायनज्ञ श्री विनीत कुमार को निलम्बित करना समिति के सदस्यों की वैध और वैध असहमति को दबाने के प्रयास दर्शाता है।

श्री विनीत कुमार, उपमुख्य रसायन विद (निलम्बित) वासी श्री रुम सैट-16, शुगर मिल कालोनी शाहबाद मारकण्डा की शिकायत व अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र के पत्र क्रमांक 5063 दिनांक 25.04.2025 के अवलोकन से करने पर प्रथम दृष्टया से पाया गया कि श्री विरेन्द्र चौधरी, HCS the then MD, Suger Mills, Shahbad और निदेशक मण्डल के सदस्यों के द्वारा M/s Pawan Environmental Services, Bijnor. (U.P.) को निविदा सख्या 2024-HBC-404917-1 तथा M/s Kush Engineering works, Shahabad Markanda को निविदा सख्या 2024-HBC-404892-1 में तकनीकी पात्रता के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा न करने पर भी अनुमोदित किया जाना पाया गया है। विरेन्द्र चौधरी, HCS the then MD, Suger Mills, Shahbad ने अपने पद का दुरुपयोग न केवल निविदा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाना पाया गया तथा सी.एम. विन्डो नम्बर CMOFF/N/2024/105464 dated 28.10.2024 की जांच में तथ्यों के साथ घोर छेड़छाड़ और तोड़ मरोड़ करके सी.एम. विन्डो पोर्टल की पवित्रता को कमजोर करना पाया जाने पर विरेन्द्र चौधरी, HCS the then MD, Suger Mills, Shahbad, निदेशक मण्डल के सदस्यों, Suger Mills, Shahbad, M/s Pawan Environmental Services, Bijnor. (U.P.) व M/s Kush Engineering works, Shahabad Markanda के विरुद्ध धारा 308(3), 318(4), 336(3), 337, 340 (2), 61(2) BNS 7,13(1) r/w 13(2) PC Act 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख, मय जांच रिपोर्ट पेज सख्या 1 से 298 तक प्रबन्धक अफसर थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला को प्रस्तुत है। मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 11/12/2025-1VII दिनांक 08.07.2025 के अनुसार इस मामले की तफतीस की अनुमति प्राप्त हो चुकी है जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अभियोग अंकित करके नकल मिशन मय असल लेख अगामी अनुसन्धान के लिए अन्य सक्षम अधिकारी के पास भिजवाई जाये तथा अनुसन्धान के दौरान अन्य किसी भी अधिकारी एवम कर्मचारी की सलिप्तता पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

अज- थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

(प्रवीण कुमार)

निरीक्षक,

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र।

दिनांक 22.07.2025

समय: 4.15 पी.एम.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक प्रवीण कुमार राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र। बर खिलाफ विरेन्द्र चौधरी, HCS the then MD, Suger Mills, Shahbad, निदेशक मण्डल के सदस्यो Suger Mills, Shahbad, M/s Pawan Environmental Services, Bijnor. (U.P.) व M/s Kush Engineering works, Shahabad Markanda के विरुध अपराध बा जूर्म 308(3), 318(4), 336(3), 337, 340 (2), 61(2) BNS 7,13(1) r/w 13(2) PC Act 1988 का होना पाया जाने की तहरीर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 24 दिनांक 22.07.2025 धाराधीन 308(3), 318(4), 336(3), 337, 340 (2), 61(2) BNS 7,13(1) r/w 13(2) PC Act 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक पवन कुमार निरीक्षक भ0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड हवाले हस्ब आदेश अफसरानबाला आगामी अनुसंधान हेतू निजद उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): Om Prakash (Dy. SP (Deputy Superintendent of Police))/HPS or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

14.

Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent
of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

